

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**  
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1142/2026

Urmila Devi W/o Surendra Kumar Sharma,

----Appellant

Versus

Manish S/o Kanhaiyalal

----Respondent

---

|                   |   |                                                                                     |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| For Appellant(s)  | : | Mr. Vinod Kumar Tamoliya, Adv.<br>Mr. Siya Ram Shurma, Adv.<br>Mr. Dinesh Jat, Adv. |
| For Respondent(s) | : |                                                                                     |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**  
**Judgment / Order**

**12/03/2026**

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार पी एफ नोटिस व डाक खर्च आदि पेश किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील तथा स्थगन याचिका के नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को निवेदन अनुसार नोटिस तामील हेतु दस्ती प्रदान किये जावे।

अंतरिम स्थगन पर सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए तथा अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो, इस उद्देश्य से प्रत्यर्थी को मात्र सुनवाई की आगामी तिथि तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय, अंतरित या भारित नहीं करे। यह अंतरिम आदेश प्रत्यर्थी पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा। आगामी पेशी पर यह अन्तरिम आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा तथा उस दिन उपस्थित पक्ष को सुनकर अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जावेगा।

प्रकरण दिनांक 20.04.2026 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J